

33

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 915/15

संस्थित दिनांक-19.11.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. रामसहाय पुत्र हल्लू आदिवासी उम्र 62 साल
2. कल्ली पुत्र लल्लू आदिवासी उम्र 20 साल  
निवासी टीकमगढ हाल डांग पहाड जिला भिण्ड म0प्र0..अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 22.04.17 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.07.15 को 23 बजे या उसके लगभग आरक्षी केंद्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड कोमेक्स प्लांट डांग पहाड स्थान से फरियादी के जनरेटर से एक लोहे का धुंआ देने वाला सिलैण्डर लगभग दो हजार रुपये कीमत का बिना उसकी अनुमति के हटाकर चोरी कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी रामवरन राठौर की भूमि पर कोमेक्स कंपनी का प्लांट लगा हुआ था जो दिनांक 19.07.15 को बंद पड़ा था। कंपनी वालों ने फरियादी को प्लांट की देखरेख करने के लिए कहा था। उक्त दिनांक को रात 11 बजे फरियादी प्लांट पर देखने गया तो प्लांट के जनरेटर के पास आदमी दिखे। फरियादी ने अपने भतीजे सुनील एवं विनोद को बुलवा लिया और उन लोगों ने जनरेटर के पास जाकर देखा तो दो लडके उन्हें देखकर झाड़ियों में छिप गए, टार्च जलाकर देखा तो दोनों लडके मिल गए। नाम पता पूछने पर एक का नाम रामसहाय व दूसरे का नाम कल्ली आदिवासी होना बताया। पूछताछ करने में जनरेटर का कुछ सामान चोरी कर जंगल में रख आने की बात कही। फिर अभियुक्तगण को मय भतीजों के फरियादी थाने लेकर पहुंचा। उक्त रिपोर्ट से अप0क्र0-169/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए। अभियुक्तगण से पूछताछ कर मेमोरेण्डम, जब्ती व गिरफ्तारी की गयी। शिनाख्त कराई गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

22.4.17  
का.प्र.क 915/15  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश



3. अभियुक्तगण को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.07.15 को 23 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला मिण्ड कोमेक्स प्लांट डांग पहाड़ स्थान से फरियादी के जनरेटर से एक लोहे का धुंआ देने वाला सिलैण्डर लगभग दो हजार रुपये कीमत का बिना उसकी अनुमति के हटाकर चोरी कारित की ?

#### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामवरन अ०सा० 1, विनोद अ०सा० 2, सुनील अ०सा० 3, नीलेश अ०सा० 4, कृष्णकांत अ०सा० 5, विदुराज तोमर अ०सा० 6, रामेश्वर अ०सा० 7, गोपसिंह अ०सा० 8 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

6. फरियादी रामवरन अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि पिछले साल बरसात के दिनों की बात है। उनके खेत पर केशर कंपनी का प्लांट लगा था उसका कोई सामान चोरी हो गया तब कंपनी वालों ने रामसहाय व एक अन्य लड़के को पकड़ लिया जिन्हें सामान निकालते समय कंपनी वालों ने पकड़ लिया था, उन्होंने जाकर थाने में रिपोर्ट की थी तब वह उनके साथ गया था और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। साक्षी प्र०पी० 1 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है किन्तु स्वयं रिपोर्ट के संबंध में कथन नहीं करता है इस कारण से अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षी द्वारा इस तथ्य से इंकार किया कि कोमेक्स कंपनी वालों ने प्लांट की देखभाल करने के लिए कहा था। यह भी अस्वीकार किया कि वह रात को 11 बजे प्लांट देखने गया तो वहां आदमी दिखे। इस तथ्य से भी इंकार किया कि उसने आदमी देखकर भतीजों को बुलवा लिया तथा अभियुक्तगण को पकड़ा था। यह साक्षी अभियुक्तगण द्वारा कुछ सामान खोलकर डांग (जंगल) में रख आने के संबंध में इंकार करता है। साक्षी अभियुक्तगण को नहीं जानने और न हीं उनको देखने का कथन करता है। साक्षी प्राथमिकी प्र०पी० 1 तथा पुलिस कथन प्र०पी० 3 का विनिर्दिष्ट भाग पढ़कर सुनाए जाने पर वैसी रिपोर्ट व कथन दिए जाने से स्पष्ट इंकार करता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करता है कि न तो अभियुक्तगण से मिला और न हीं उनके साथ थाने गया था। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि पुलिस ने जहां हस्ताक्षर करने को कहा वहां हस्ताक्षर कर दिए किन्तु उसे नहीं पता कि उक्त दस्तावेजों में क्या लिखा था।

7. विनोद अ०सा० 2 व सुनील अ०सा० 3 अभियुक्तगण को जानने से इंकार करते हैं। अभियुक्तगण के निशांदाही पर कोई भी सामान जब्त होने के संबंध में इंकार करते हैं। प्र०पी० 5 व 6 के गिरा पत्रक, प्र०पी० 4 के जवती पत्रक पर साक्षीगण क्रमशः ए से ए व बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करते

22.4.15  
प. के गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
मेरठ जिला मिण्ड पहाड़



हैं किन्तु अभिकथित दस्तावेजों के माध्यम से अभियुक्तगण की गिरा एवं उनके निशांदाही पर जब्ती के तथ्य से इंकार करते हैं। नीलेश अ०सा० 4 तथा कृष्णकांत अ०सा० 5 उक्त साक्षी अभियुक्तगण से मेमोरेण्डम धारा 27 साक्ष्य विधान दिए जाने के साक्षी हैं जो अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण से कोई भी तथ्य पता चलने के संबंध में इंकार करते हैं। प्रपी० 9 व 10 पर क्रमशः ए से ए व बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करते हैं किन्तु सूचक प्रश्नों में इस तथ्य से इंकार करते हैं कि उनके समक्ष अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने धुआ देने वाले जनरेटर के सिलैण्डर को डांग पहाड़ी में टपरो के पास झाडी में छिपाने की बात बताई थी। इस प्रकार से अभियोजन के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा कोई भी तथ्य का समर्थन नहीं किया है।

8. फरियादी रामवरन अ०सा० 1 द्वारा प्राथमिकी प्र०पी० 1 के तथ्यों से इंकार किया है। इस तथ्य से इंकार किया है कि वह अभियुक्तगण को थाने पकड़कर ले गया था। प्राथमिकी लेखक गोपसिंह अ०सा० 9 हैं जो कथन करते हैं कि दिनांक 20.07.15 को वे थाना गोहद चोराहा में एचसीएम के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध जनरेटर का पार्ट चोरी किए जाने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र०पी० 1 बताकर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर का कथन करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह बताते हैं कि फरियादी रामवरन के साथ रिपोर्ट लिखाने उसके दो भतीजे भी आए थे किन्तु अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण को लाए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। अनुसंधानकर्ता विदुराज तोमर अ०सा० 7 हैं जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्हें प्र०पी० 1 की प्राथमिकी अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई जिसकी विवेचना में उनके द्वारा नक्शामौका बनाया और सुनील, रामवरन व विनोद के कथन बताए अनुसार लेख किए थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में बताता है कि जब उसने धारा 27 का ज्ञापन तैयार किया उस समय सभी पुलिस वाले थे कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं थे जबकि प्रपी० 9 व 10 के रूप में ज्ञापन पर साक्षी नीलेश अ०सा० 4 एवं कृष्णकांत उर्फ किशनू अ०सा० 5 के हस्ताक्षर कराए गए हैं। उक्त तथ्य विवेचक के द्वारा अभिलेख के विपरीत किया गया है।

9. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता विदुराज अ०सा० 7 यह कथनकरते हैं कि उन्होंने अभियुक्तगण से धारा 27 का ज्ञापन लिया था जिसमें अभियुक्तगण ने 4-5 दिन पहले जनरेटर से सामान निकालकर टपरो के पास झाड़ियों में रख आने का कथन किया था। साथ ही उक्त दिनांक 20.07.15 को अभियुक्तगण की निशांदाही पर प्र०पी० 4 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्ती किए जाने का तथ्य बताता है। सर्वप्रथम तो जब्ती साक्षियों द्वारा कथित जब्ती का कोई समर्थन नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभिकथित जब्ती की कार्यवाही प्रपी० 4 के अनुसार दिन के 1:30 बजे की गयी है जबकि गिरा पत्रक प्र०पी० 6 व 5 के अनुसार गिरा क्रमशः दोपहर को 2 व 2:20 बजे की गयी है। ऐसे में यह तथ्य स्पष्ट होता है कि स्वयं अनुसंधानकर्ता के अनुसार अभियुक्तगण अभिरक्षा में नहीं थे। फरियादी जो कि मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के साथ थाने जाने का कथन करता है वहीं प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार करता है ऐसे में उसका कथन विश्वसनीय नहीं है जबकि प्राथमिकी लेखक गोपसिंह अ०सा० 9 द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण को थाने पर फरियादी लाया था। यदि उनकी बात सत्य मान भी ली जाए तो प्राथमिकी प्रपी०

उत्तराखण्ड  
राज्य मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
नेहरू नगर सिविल कोर्ट



1 दिनांक 20.07.15 को मध्य रात्रि 1 बजे लेख किया जाना दर्शित है तब से लेकर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय अर्थात् दोपहर 2 बजे तक पुलिस के द्वारा की गयी कार्यवाही का कोई युक्तियुक्त प्रमाण नहीं है।

10. प्रकरण में फरियादी द्वारा उसके समक्ष न तो चोरी का कोई कथन किया है और न ही उसके समक्ष अभियुक्तगण से कोई जब्ती का तथ्य बताया गया है ऐसे में क्या संपत्ति चोरी हुई इसके संबंध में शिनाख्त कार्यवाही महत्वपूर्ण हो जाती है। फरियादी रामवरन कथित शिनाख्त कार्यवाही के ज्ञापन में ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है किन्तु उसके आधार पर शिनाख्त कार्यवाही न होने का कथन करता है। रामेश्वरसिंह अ०सा० 8 शिनाख्त कार्यवाही के निष्पादक के रूप में परीक्षित कराए गए हैं जो मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि वे गोहद से ग्वालियर जा रहे थे तब पुलिस ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए थे, दस्तावेज में क्या लिखा था इसके संबंध में अनभिज्ञता प्रकट करते हैं। प्रपी० 2 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करते हैं किन्तु प्रपी० 2 के माध्यम से स्वयं उसके निष्पादक द्वारा शिनाख्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। शिनाख्तकर्ता रामवरन अ०सा० 1 द्वारा भी प्रपी० 2 शिनाख्त मेमो के संबंध में इंकार किया है। ऐसे में अभियुक्त से अभिकथित जब्ती के संबंध में अभियोजन का मामला तथ्यों की सुसंगत श्रृंखला को पूर्ण नहीं करता है।

11. प्रकरण में पुलिस कार्यवाही का कोई समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा चोरी की गयी हो इसके संबंध में किसी साक्षी का कथन नहीं है न ही अभिकथित चोरी का सामान सालेंसर अभियुक्तगण के आधिपत्य से जब्त किए जाने के संबंध में स्वतंत्र साक्षियों ने कोई अभिपुष्टि की है। इसके अतिरिक्त अभिकथित धुआं देने वाला जनरेटर का सिलैण्डर फरियादी के आधिपत्य की संपत्ति थी उसके संबंध में शिनाख्त कार्यवाही का कोई भी समर्थन न फरियादी ने और न शिनाख्तकर्ता द्वारा किया गया है। धारा 27 साक्ष्य अधि० 1872 के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में दी गयी जानकारी जिससे तथ्य का पता चले वह सुसंगत होती है और प्रमाणित की जा सकती है किन्तु सर्व प्रथम तो अभियुक्तगण कथित ज्ञापन प्रपी० 9, 10 के लेख किए जाने के समय अभिरक्षा में थे इस तथ्य के संबंध में अभिलेख पर विरोधाभासी गिरफ्तारी प्रपी० 5 व 6 है। द्वितीयतः यदि अभियुक्तगण से कथित जानकारी प्राप्त हुई थी तो उसके संबंध में स्वतंत्र साक्षी द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में पुलिस की कार्यवाही के सम्यक् प्रमाणित किए जाने हेतु कोई भी रोजनामचा सान्हा न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रमाणित कराया गया है। इस प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिकथित चोरी के आरोप के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष अथवा तथ्यों की सुसंगत श्रृंखला के रूप में प्रमाणित करने योग्य साक्ष्य अभिलेख पर न ही है।

12. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि संदेह, सबूत का अनुकूल्य नहीं है।

22/4/15  
 ० के अग्र  
 अधिक निजिस्ट प्रथम श्रम  
 न्याय विभाग निजिस्ट प्रथम



35

“सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.07.15 को 23 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड कोमेक्स प्लांट डांग पहाड स्थान से फरियादी के जनरेटर से एक लोहे का धुआ देने वाला सिलैण्डर लगभग दो हजार रुपये कीमत का बिना उसकी अनुमति के हटाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रमावी रहेंगे।

12. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति एक लोहे का धुआ देने वाला जनरेटर का सिलैण्डर बजन करीब 40 किलो के संबंध में किसी के द्वारा कोई दावा नहीं किया है। ऐसे में अपील अवधि उपरांत संपत्ति को राजसात किया जावे, अपील की दशा में अपील न्यायाल के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

23.07.15  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

23.07.15  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्य प्रदेश